न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और बी. एस. वालिया के समक्ष

राष्ट्रीय बीमा कंपनी सीमित और एक और-अपीलकर्ता

बनाम

अशोक कुमार और प्रतिवादी

एल. पी. ए. No.121/2018

23 जनवरी, 2018

भारतीय मोटर टैरिफ, सामान्य नियम-आर.एल. 24-यह सत्यापित किए बिना कि विचाराधीन वाहन किसी अन्य कंपनी के साथ बीमाकृत है, बीमा कंपनी केवल फाईनेंसर के अनुरोध पर बीमा रद्द नहीं कर सकती-अपील खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं मिली हैं । बीमा कंपनी को बीमित/प्रत्यर्थी संख्या 1 को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया गया है।फाइनेंसर से राशि का दावा करने की छूट दी गई है।बीमा पॉलिसी को रद्द करने का प्रावधान करने वाले भारतीय मोटर शुल्क के सामान्य नियम 24 का उल्लेख किया गया है, जो स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए कहा गया है कि बीमाधारक के विकल्प पर पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है।नियम का सम्बंधित हिस्सा नीचे दिया गया हैः

“GR.24।बीमा और दोहरे बीमा को रद्द करना

ए. बीमा को रद्द करना;

(क) बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर रिकॉर्ड की गई डिलीवरी द्वारा बीमित व्यक्ति को रद्द करने का सात दिनों का नोटिस भेजकर पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है और बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को पॉलिसी की शेष अवधि के लिए अनुपातिक प्रीमियम वापस कर देगा।

(ख) बीमित व्यक्ति के विकल्प पर पालिसी रद्द करने के सात दिनों के नोटिस के साथ एक पॉलिसी रद्द किया जा सकता है और बीमाकर्ता पालिसी को रद्द होने से पहले कवर की अवधि तक अल्पावधि पैमाने पर प्रीमियम बनाए रखने का हकदार होगा जिसके लिए पॉलिसी रद्द होने से पहले कवर मौजूद था।शेष राशि, यदि कोई हो तो, बीमित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।प्रीमियम का रिफंड इस बात के अधीन होगा कि

i) पॉलिसी के तहत कोई दावा नहीं है, और

(ii) प्रतिधारण में निर्दिष्ट न्यूनतम शुल्क प्रीमियम ।

(ग) किसी पॉलिसी को यह सुनिश्चित करने के बाद ही रद्द किया जा सकता है कि वाहन का बीमा कहीं और किया गया है, कम से कम केवल देयता कवर के लिए और रद्द करने के लिए मूल बीमा प्रमाण पत्र को वापिस कर दें ।

(घ) बीमाकर्ता को बीमा के इस तरह के रद्द होने के बारे में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर. टी. ए.) को रिकॉर्ड की गई डिलीवरी द्वारा सूचित करना चाहिए।"

(पैरा 4)

आगे कहा कि उपरोक्त नियम में यह प्रावधान नहीं है कि वाहन के फाइनेंसर द्वारा किए गए अनुरोध पर पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है। मामले में, निर्विवाद रूप से यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी को रद्द करने के लिए कोई अनुरोध किया गया था।उपरोक्त नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि पॉलिसी को यह सुनिश्चित करने के बाद रद्द किया जा सकता है कि वाहन का बीमा कहीं और किया गया है, कम से कम केवल देयता कवर के लिए।यह विवाद में नहीं है कि बीमा कंपनी ने यह सत्यापित नहीं किया था कि विचाराधीन वाहन का किसी अन्य कंपनी के साथ बीमा किया गया है और पॉलिसी को केवल वित्तीय सलाहकार के अनुरोध पर रद्द कर दिया गया था।

(पैरा 5)

नितिन गुप्ता, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

राजेश बिंदल, जे।

(1) वाहन के मालिक द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसका बीमा का दावा इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि फाइनेंसर द्वारा पालिसी रद्द कर दी गयी थी, वर्तमान इंटर कोर्ट अपील में लागू किया गया है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पंजीकरण संख्या 1 वाला वाहन खरीदा था। एचआर-39डी-5141, जिसे मैग्मा फाइनेंस कंपनी (प्रतिवादी संख्या 2) से वित्तपोषित किया गया था।वाहन का बीमा अपीलकर्ता द्वारा 17.11.2005 से 16.11.2006 तक किया गया था।Rs.18,599/- के प्रीमियम का भुगतान फाइनेंसर द्वारा अपीलार्थी-बीमा कंपनी को किया गया था।बीमित व्यक्ति के खाते में राशि काटी गई थी।वाहन 11.9.2006 पर दुर्घटना का शिकार हो गया।सर्वेक्षणकर्ता ने नुकसान का आकलन रु. 8,50,000-पर किया।क्षतिग्रस्त वाहन को स्क्रैप के रूप में 1,90,000/- रुपये में बेचा गया था।चूंकि बीमा दावा तय नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा), हिसार के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया।आदेश को रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसकी अनुमति दी गई थी।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने फाईनेंसर को नष्ट कर दिया, जिसने बीमित व्यक्ति की ओर से प्रीमियम का भुगतान किया था, ने बीमा पॉलिसी को रद्द कर दिया था, उसे 3.4.2006 पर प्रीमियम की राशि वापस कर दी गई थी

और उसके बाद, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी।बीमित व्यक्ति को सूचित करना फाईनेंसर का कर्तव्य था।बीमा कंपनी को दोषी नहीं कहा जा सकता है।बीमा दावा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

(4) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।बीमा कंपनी को बीमित/प्रत्यर्थी संख्या 1 को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया गया है।फाइनेंसर से राशि का दावा करने की छूट दी गई है।बीमा पॉलिसी को रद्द करने का प्रावधान करने वाले भारतीय मोटर शुल्क के सामान्य नियम 24 का उल्लेख किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि बीमाधारक के विकल्प पर पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है।नियम का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

" GR.24।बीमा और दोहरा बीमा रद्द करना ए. बीमा रद्द करना

(क) बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर रिकॉर्ड की गई डिलीवरी द्वारा बीमित व्यक्ति को रद्द करने का सात दिनों का नोटिस भेजकर पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है और बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को पॉलिसी की शेष अवधि के लिए प्रो-राटा प्रीमियम वापस कर देगा।

(ख) बीमित व्यक्ति के विकल्प पर रद्द करने के सात दिनों के नोटिस के साथ एक पॉलिसी रद्द की जा सकती है और बीमाकर्ता उस अवधि के लिए दरों के अल्पावधि पैमाने पर प्रीमियम बनाए रखने का हकदार होगा जिसके लिए पॉलिसी रद्द होने से पहले कवर मौजूद था।शेष राशि, यदि कोई हो, तो बीमित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।प्रीमियम का रिफंड इस बात के अधीन होगा कि

(i) पॉलिसी के तहत कोई दावा नहीं है, और

(ii) शुल्क में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रीमियम का प्रतिधारण।

(ग) किसी पॉलिसी को यह सुनिश्चित करने के बाद ही रद्द किया जा सकता है कि वाहन का बीमा कहीं और किया गया है, कम से कम केवल देयता कवर के लिए और रद्द करने के लिए मूल बीमा प्रमाण पत्र के समर्पण के बाद।

(घ) बीमाकर्ता को बीमा के ऐसे रद्दीकरण के बारे में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर. टी. ए.) को रिकॉर्ड की गई डिलीवरी द्वारा सूचित करना चाहिए।"

(5) उपरोक्त नियम में यह प्रावधान नहीं है कि वाहन के फाइनेंसर द्वारा किए गए अनुरोध पर पॉलिसी रद्द की जा सकती है । हाथ में मामले में, निर्विवाद रूप से यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि बीमित

व्यक्ति द्वारा पॉलिसी को रद्द करने के लिए कोई अनुरोध किया गया था।उपरोक्त नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि पॉलिसी को यह सुनिश्चित करने के बाद रद्द किया जा सकता है कि वाहन का बीमा कहीं और किया गया है, कम से कम केवल देयता कवर के लिए।यह विवाद में नहीं है कि बीमा कंपनी ने यह सत्यापित नहीं किया था कि विचाराधीन वाहन का किसी अन्य कंपनी के साथ बीमा किया गया है और पॉलिसी को केवल फाइनेंसर के अनुरोध पर रद्द कर दिया गया था।

(6) ऊपर वर्णित कारणों से, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिली तदनुसार, उसी को खारिज कर दिया जाता है।नतीजतन, अपील को फिर से दायर करने में देरी को माफ करने का आवेदन भी खारिज कर दिया जाता है।

संजीव शर्मा, संपादक

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

सविता
4H16JG
ट्रांसलेटर